12/2020 तामील में जारी हुए

13/9/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/9/22 को पेश हो।

9/2022

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण अनुपस्थित। बार बार आवाज दिलवायी जाने पर भी प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नही। विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है जो शामिल मिसल है। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया एवं प्रतिवादीगण की और से मैरिट पर देखा गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जावें। वकील वादी को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने एवं प्रतिवादीगण की और से मैरिट पर देखने पर पाया गया कि पक्षकारान मौके पर पूर्व से ही बाहमी बटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा मौका व रिकार्ड अनुसार बटवारा तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर एवं अगुशः निशानी भी दर्ज है। अतः प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है। 22.9.22

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक/भू.अ./2022/5181 दिनांक 08.08.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्की मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:40:09 IST
Reason: SelfAttested